मवाना सुगर्स लिमिटेड

CIN: L74100DL1961PLC003413
पंजीकृत कार्यालयः पांचवीं मंजिल, किर्ती महल, 19, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125, दूरभाष नं.: 91-11-25739103
ई-मेल: corporate@mawanasugars.com, बेवसाइटः www.mawanasugars.com

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी परिपत्र सं. एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के मद्देनजर, 01 अप्रैल, 2019 से पहले बिक्री/क्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा डिमैटेरियलाइजेशन के लिए एक विशेष विंडो 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक खोली गई है। यह स्पेशल विंडो ऐसे हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिसे पहले जमा किए गए थे एवं त्रुटियों के कारण निरस्त/वापस/उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, यह सुधार एवं ऊपरोक्त अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर है। सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार इस तरह के सभी हस्तांतरण सिर्फ डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में संसाधित किए जाएंगे तथा हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन अवस्था में रहेंगे।

आगे के विवरण के लिए, आप कंपनी से corporate@mawanasugars.com पर अथवा आरटीए यानी एमएएस सर्विसेस लिमिटेड टी-34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से फोन सं.: 011-26387281-83, फैक्सः 011-26387384, ई-मेलः investor@masserv.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते मवाना सुगर्स लिमिटेड
हस्ता/-
(अशोक कुमार शुक्ला)
स्थानः नई दिल्ली — कंपनी सचिव
दिनांकः 27 मार्च, 2026 — एसीएसः 29673

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष
नई दिल्ली बेंच–6, नई दिल्ली के समक्ष
(मूल न्यायाधिकार क्षेत्र)
कम्पनी याचिका सं. (सीएए) 100 (एनडी) का 2025
के सम्बंधित
कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 78 (एनडी) का 2025
कम्पनी अधिनियम 2013 (18 ऑफ 2013) के मामले में
धारा 230 और 232 तथा
समामेलन की योजना के मामले में
तथा
निम्नलिखित के मामले में

मास्पर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता स. 1 / अंतरणकर्ता कम्पनी
तथा
महाजन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता नं. 2 / अंतरिति कम्पनी

(दोनों कम्पनियाँ कम्पनीज़ अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इनके सम्बंधित पंजीकृत कार्यालय बी–1 / एफ–8, मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110 044 पर स्थित है)

याचिका की सुनवाई की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230 और 232, कम्पनियाँ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016, और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत एक संयुक्त याचिका मास्पर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और महाजन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की समामेलन की योजना को मंजूरी प्राप्त करने के लिए 29 दिसंबर, 2025 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका 7 मई, 2026 को प्रातः 10:30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच–6, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपनी आशय की सूचना, स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम तथा पते के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच–6, ब्लॉक नंम्बर 3, ग्राउंड, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003 अथवा याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता को सूचित करे, ताकि याचिका की सुनवाई हेतू निर्धारित तिथि के कम से कम 2 दिन से पहले पीठ अथवा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के पास पहुंच सके। जहाँ वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे / शपथपत्र की एक प्रति इस तरह के नोटिस के साथ प्रस्तुत करे। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ताक्षर
कार्तिकेय गोयल, अधिवक्ता
कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
दिनांकः 24.03.2026 — 785, पॉकेट–ई, मयूर विहार–।।,
स्थानः नई दिल्ली — दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे / एनएच–9, दिल्ली–110 091
ई–मेलः info@rgalegal.in, वेबसाइटः www.rgalegal.in

DHAMPUR
Legacy for tomorrow

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर–246761, यु.पी
कॉर्पो कार्यालयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला फेज–3, नई दिल्ली–110020
CIN- L15249UP1933PLC000511, फोनः 011- 41259400
ईमेल आईडीः investordesk@dhampursugar.com
वेबसाइटः www.dhampursugar.com

सूचना

भौतिक शेयरों के स्थानांतरण और विभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

कृपया ध्यान दें कि सेबी परिपत्र संख्याा HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 तारीख 30 जनवरी, 2026 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार, भौतिक शेयरों के स्थानांतरण और विभौतिकीकरण के लिए एक विशेषा विंडो 4 फरवरी, 2027 तक खुली रहेगी।

यह सुविधा उन निवेशकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2019 से पहले धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") के शेयर भौतिक प्रणाली से खरीदे थे, और

1. स्थानांतरण के लिए शेयर जमा नहीं किए थे; या
2. स्थानांतरण के लिए शेयर जमा किए थे, लेकिन जमा किए गए दस्तावेज़ में अंतर के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, वापस कर दिया गया, या उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

विशेष विंडो की प्रयोज्यता

इस विंडो की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता के लिए, नीचे दिया गया आव्यूह देखा जा सकता हैः

स्थानांतरण विलेख की निष्पादन तिथि	01 अप्रैल, 2019 से पहले स्थानांतरण के लिए दर्ज किया था?	मूल रक्षक प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	वर्तमान विंडो में दर्ज करने के पात्र हैं?
01 अप्रैल, 2019 से पहले	नहीं (यह नया प्रस्तुतीकरण है)	हाँ	✔
01 अप्रैल, 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले अस्वीकृत / वापस कर दिया गया था)	हाँ	✔
01 अप्रैल, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	✕
01 अप्रैल, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	✕

कृपया ध्यान दें कि जिन अनुरोध के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र, स्थानांतरण विलेख और दूसरे सहकारी दस्तावेज़ होंगे, उन पर ही विशेष विंडो के तहत विचार किया जाएगा।

जो निवेशक इस विशेष विंडो का फायदा उठाना चाहते हैं, वे कंपनी के पंजीयक और शेयर स्थानांतरण अभिकर्ता, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिटः धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड), अलंकित हाउस, 4ई / 2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से संपर्क कर सकते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए निवेशक ऊपर दिया गया सेबी परिपत्र देख सकते हैं।

सवाल investordesk@dhampursugar.com / rta@alankit.com पर भेजे जा सकते हैं।

कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता. / –
अपर्णा गोयल
स्थान : नई दिल्ली — कंपनी सचिव
दिनांकः 26.03.2026 — सदस्यता सं. ए22787

कब्जा सूचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एआरसीआईएल-2026-006-ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता(ओ) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को ''जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर'' नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	बगाया राशि और मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि
उधारकर्ता : जागे राम, सह-उधारकर्ता : बिमला जागे राम, आशीष जागे राम, गारंटर : याद राम (लोन नं.: SMATSBLONS000006085592)	रु. 395701.64/- (रुपये तीन लाख पचानवे हजार सात सौ एक पैसे चौंसठ मात्र) 08 सितम्बर 2025 तक, 09 सितम्बर 2025 से भुगतान / वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांक: 09 अक्टूबर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग जो कि, प्लॉट / मकान स्थित खेवट नं. 281 खतौनी नं. 299 मुस्तिल व किल्ला नं. 68/2(6-8) 3/2(4-0) 4/2(2-13)7/2 मिन(6-8) 8 मिन(7-11) खसरा नं. 412 कुल 02 मरला खसरा नं. 413(0-2) 414(0-2) 415(0-2) किता 09 कुल 27 कनाल 08 मरला में से इसका क्षेत्रफल 1/80 शेयर यानी 06 मरला 08 सरसई जमाबंदी 2019- 20 राजस्व संपदा गांव मुकेंदपुरा तहसील नारनौल जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। क्षेत्रफल 06 मरला 08 सरसाई , आशीष से सम्बन्धित, सीमाएँ :- उत्तर : कैलाश फौजी का मकान, दक्षिण : सड़क, पूर्व : राम चंदर का मकान फिर सड़क, पश्चिम : दिखाई नहीं दे रहा है	23.03.26

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना / हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः हरियाणा — एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
दिनांकः 27.03.2026 — एआरसीआईएल-2026 - 006 - ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी

Arcil Premier ARC
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO :- U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028. फोन : +91 2266581300

सार्वजनिक सूचना

श्री अक्षय सहगल पुत्र श्री अनुज सहगल निवासी म.नं.-सी-89, सेक्टर-47, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. एवं सुश्री शुभि वरॉनिका डेविस पुत्री श्री विनीत वैलेन्टाईन डेविस निवासी 204/10, ऑर्चिड पैटल्स, सोहना रोड, सेक्टर-49, साउथ सिटी- ।।, गुडगांव, हरियाणा-122018 ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति अपनी आपत्ति/आपत्तियाँ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 12.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र० नगर मजिस्ट्रेट /विशेष विवाह अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

सार्वजनिक सूचना

श्री सुमन कुमार पुत्र श्री नरेश प्रसाद गुप्ता निवासी डी-107, सेक्टर-49 नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) एवं श्रीमती निकिता गुप्ता पुत्री श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता निवासी बंशी चौक, जनकपुरधाम, सब मैट्रोपोलियन सिटी 9, धनुषा, नेपाल-47778 ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में आपत्तिधारी व्यक्ति अपनी आपत्ति / आपत्तियाँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 05.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकता है।

नगर मजिस्ट्रेट /विशेष विवाह अधिकारी गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.)

सार्वजनिक सूचना

सूचना दी जाती है कि फाइकस मर्केंटाइल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-89, भूतल (पीछे की ओर), मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 में स्थित है और जिसका सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रजिस्ट्रेशन नंबरः आईएनपी000004896 तथा सीआईएनः यू65999डीएल1985पीएलसी 021991 है, ने स्वेच्छा से अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करने और अपना पीएमएस व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया है।

जिन भी मुवक्किलों/निवेशकों को इस समर्पण के संबंध में कोई दावा अथवा आपत्ति हो, वे इस प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने दावे लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के पास बी-89, भूतल (पीछे की ओर), मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 पर भेजें। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि हमारे विरुद्ध कोई लंबित दावा नहीं है।

कृते फाइकस मर्केंटाइल लिमिटेड
विनोद कुमार बंसल
दिनांकः 27/03/2026
स्थानः नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मोहम्मद मुरसलीन, मोहल्ला मंटोला, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055 में स्थित वार्ड नंबर 15 में, वन शॉप प्राइवेट नंबर 2, बिना छत अधिकार के भूतल पर, क्षेत्रफल 20.203 वर्ग मीटर पर बना हुआ फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या 825, के बिक्री विलेख दिनांक 27.09.2025, पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2025/24/I/9631 के आधार पर मालिक हैं। और इसे शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित और बंधक किया जा रहा है। विभाजन विलेख दिनांक 01.03.1950 से पहले का शीर्षक विलेख, जो दस्तावेज़ संख्या 446 के तौर पर पंजीकृत है, श्रीमती कलवती और दूसरों के कोर्ट ऑर्डर की पूरी कॉपी और श्री दरोगा मल जैन, श्री बिमल प्रसाद जैन, श्री अभिनंदन जैन की एसएमसी, उपलब्ध नहीं है। जो उक्त संपत्ति चेन से संबंधित है, यदि किसी के पास उक्त संपत्ति पर कोई प्रभार / हित / स्वामित्व या किसी प्रकार का विवाद है तो कृपया नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 07 दिनों के भीतर हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। आकाँश सिंह, अधिवक्ता
ज्यूरिस कोर (लॉ फॉर्म)
पताः–607, 6वीं मंजिल, शिवम टॉवर, अंसल बिल्डिंग आरडीसी गाजियाबाद, यूपी 201002
ई–मेलः juriscore@gmail.com, Ph: 8076533540

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विजय पाल, जिन्होंने गांव किलोकरी, हरि नगर आश्रम नई दिल्ली में स्थित खसरा संख्या 1270 / 1254 खेवट संख्या 13 का हिस्सा, संपत्ति एमसीडी नंबर 269 के संपूर्ण तीसरी मंजिल का, विभाजन विलेख दिनांक 21.06.2022 के आधार पर मालिक होने का दावा किया है। और श्री विजय पाल उक्त संपत्ति अरुण कुमार को बेच दी है। और वे वित्तीय सहायता के लिए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से संपर्क किया है और इसलिए उन्हें उक्त बैंक के पास गिरवी रखना होगा। हम यह सार्वजनिक सूचना देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को स्वामित्व, मामूली हित और / या उक्त संपत्ति के किसी भी हिस्से को जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में बंधक बनाने के संबंध में कोई दावा / आपत्ति है तो वे इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिनों के भीतर नीचे दिए गए उल्लेखित पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रुप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त और / या परित्यक्त माना जाएगा और हमारा मुवक्किल उक्त संपत्ति पर ऋण के संवितरण और उसके संबंध में इसे बंधक रखने की प्रक्रिया करेगा। For Juris NextGen Law Offices E-56, LGF, Greater Kailash Enclave Part-1 New Delhi-110048

प्रपत्र संख्या आरएससी - 4
[नियम 3(3) के अनुसार]
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की बेंच - न्यायालय ।। के समक्ष
सी.पी. संख्या 46 / एन डी / 2026
बीसीएच इलेक्ट्रिक लिमिटेड ....आवेदक

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंपनी की शेयर पूंजी को 3,45,77,110 रुपये (प्रत्येक 10 रुपये के 34,57,711 इक्विटी शेयरों में विभाजित) से घटाकर 3,33,91,720 रुपये (प्रत्येक 10 रुपये के 33,39,172 इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने की पुष्टि के लिए 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली बेंच स्थित न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह कमी 10 रुपये के 1,18,539 पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के अनिवार्य निरस्तीकरण के माध्यम से की गई है।

व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कंपनी द्वारा 28 फरवरी 2026 को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के **पंजीकृत कार्यालय**, 1105 न्यू दिल्ली हाउस, 27 बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली–110001 में **सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 बजे** से **शाम 4 बजे** के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूची में दी गई जानकारी पर कोई आपत्ति है, तो वह (सहायक दस्तावेजों सहित) अपना नाम और पता तथा यदि कोई अधिकृत प्रतिनिधि हो तो उसका नाम और पता अधोहस्ताक्षरी को satish.pandey@bchindia.com पर या **बीसीएच इलेक्ट्रिक लिमिटेड, 1105 न्यू दिल्ली हाउस, 27 बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली - 110001** पर इस सूचना की तिथि से तीन महीने के भीतर भेज सकता है।

यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी की शेयर पूंजी कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के अंतर्गत सभी कार्यवाही में लेनदारों की सूची में दर्ज प्रविष्टियों को सही माना जाएगा।

यह भी ध्यान दिया जाए कि **29 जून, 2026** को सुनवाई निर्धारित की गई है, जिस दिन न्यायाधिकरण आवेदन पर सुनवाई करेगा। यदि कोई लेनदार सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है, तो उसे अपनी आपत्तियों (यदि कोई हो) के साथ अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

(सतीश चंद्र पांडे)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
बीसीएच इलेक्ट्रिक लिमिटेड

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर

आँचल AANCHAL
किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) फोन नं: 05944–242552 ई–मेलः aanchalcattlefeed@gmail.com

पत्रांक : 4468-72 / निविदा सूचना / 2025–26 — दिनांकः 25.03.2026

ई–प्रोक्योरमैन्ट नोटिस

ई–निविदा सूचना संख्या–10(1-2)/CFP/2025-26, Date - 25/03/2026

पशु आहार निमार्णशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के निम्नलिखित कार्यो के लिये अनुभवी, प्रतिष्ठित व वित्तीय रूप से सक्षम निर्माताओं / फर्मो / आपूर्तिकर्ताओं से निम्नानुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	विवरण	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खुलने की तिथि व समय
	अल्पकालिक ई–निविदा		
01	BOPP लेमिनेटेड टाईप–2 50 किग्रा०	दिनांक 01.04.2026 को सायं 05.00 बजे तक।	दिनांक 02.04.2026 प्रातः 11.00 बजे।
02	BOPP लेमिनेटेड टाईप–2 25 किग्रा०		
03	प्लेन बैग लैमिनेटेड 50 कि०ग्रा० पैकिंग क्षमता		
	ई–निविदा		
01	भूसा (गेंहूँ का भूसा)	दिनांक 09.04.2026 को सायं 05.00 बजे तक।	दिनांक 10.04.2026 प्रातः 11.00 बजे।

निविदा प्रपत्र का मूल्य, धरोहर धनराशि व समस्त निविदा दस्तावेज उत्तराखण्ड सरकार की ई–निविदा पोर्टल **www.uktenders.gov.in** पर उपलब्ध है, तथा यही से Download एंव Upload किये जा सकते हैं। निविदा में किसी भी प्रकार के सशोधन की जानकारी हेतु समय–समय पर वेबसाईट का अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निमार्णशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)

सार्वजनिक सूचना

विषय :– मूल विक्रय विलेख के गुम हो जाने के कारण समाचार पत्रों में प्रकाशन

संपत्ति का विवरण :– प्लॉट नं. 72, कॉलोनी / ग्राम – डागर विहार फेज–।।, ग्राम साहबिस्वा, खसरा सं.–133, तहसील– मोदीनगर, जिला– गाजियाबाद।

प्रलेखों की सूची :– 1. मूल विक्रय विलेख, नूर मोहम्मद पुत्र भज्जू और संजय कुमार पुत्र सतपाल सिंह के मध्य दिनांक 03 / 07 / 2013 को निष्पादित, प्रलेख सं. 10699, खंड सं. 6297
2. मूल विक्रय विलेख, श्री संजय कुमार पुत्र श्री सतपाल सिंह और श्री संजय त्यागी पुत्र श्री जय प्रकाश तथा श्रीमती बिंदु त्यागी पत्नी श्री संजय त्यागी के मध्य दिनांक 23 / 08 / 2013 को निष्पादित, प्रलेख सं. 13571, खंड सं. 6437
3. मूल विक्रय विलेख, 1. श्रीमती बिंदु त्यागी पत्नी श्री संजय त्यागी (स्वयं), 2. विवान त्यागी (अवयस्क) और 3. अथर्व (अवयस्क) अपनी प्राकृतिक अभिभावक माता श्रीमती बिंदु त्यागी के माध्यम से, दोनों पुत्र श्री संजय त्यागी और श्रीमती ललतेश पत्नी श्री प्रमोद कुमार के मध्य दिनांक 21 / 06 / 2023 को निष्पादित, प्रलेख सं. 9862, खंड सं. 14599

आम जनता को सूचित किया जाता है कि "केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड", पंजीकृत कार्यालय : छठा तल, केआईएफएस कॉर्पोरेट हाउस, होटल प्लैनेट लैंडमार्क के बगल में, अशोक वाटिका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन–अंबली रोड, बोदकदेव, अंबली, अहमदाबाद, गुजरात – 380054; कॉर्पोरेट कार्यालय : सी–902, लोटस पार्क, ग्राहम फिर्थ कंपाउंड, डब्ल्यूई हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई–400063, महाराष्ट्र, भारत; फोन नं.: +91 22 61796400, ईमेल : contact@kifshousing.com, वेबसाइट : www.kifshousing.com; सीआईएन : U65922GJ2015PLC085079, आरबीआई सीओआर : डीओआर–00145 ने संपत्ति विवरणों में उल्लिखित उक्त संपत्ति के संबंध में **श्री अक्षय कुमार, लैन नं. LNHLGHA010879** को वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

कि यह सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रलेख गुम होने के संबंध में प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रलेखों की सूची का विशेष उल्लेख है।

इसलिए आम जनता से निवेदन है कि यदि किसी व्यक्ति, पार्टी, संगठन या निगमित निकाय, जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं, को उपरोक्त वर्णित विक्रय विलेख की प्रति प्राप्त हुई हो, तो कृपया उसे समाचार पत्र में उल्लिखित पते पर केआईएफएस को लौटा दें। इस समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से केआईएफएस ने सूचित किया है कि विक्रय विलेख की उक्त मूल प्रति कहीं गुम हो गई / खो गई है, इसलिए केआईएफएस ने समाचार पत्र में यह विज्ञापन प्रकाशित किया है। कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी आपत्ति या दावा, या उक्त संपत्ति में कोई प्रभार या ग्रहणाधिकार, या किसी अन्य प्रकार का अधिकार या हित होने पर, वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें या लिखें और अपने उस दावे के सभी प्रलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर वे ऐसे अधिकार का दावा कर सकते हैं। ऐसा करने में विफल होने पर केआईएफएस प्रस्तावित लेनदेन को पूरा करने की प्रक्रिया आरंभ कर देगी और उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही केआईएफएस पर बाध्यकारी होगा, **जिस पर कृपया ध्यान दें।**

गाजियाबाद, दिनाँक :– 27–03–2026

PUBLIC NOTICE

Resurgent Legal LLP, Sector-50, Gurugram
Rohan Saluja: +91-9810150986

On behalf of our **Client**, intending Purchaser of the property described hereunder, notice is given to all concerned.

PROPERTY: Plot Cedar Crest No. 029, Block J, Nirvana Country, South City-II, Gurugram — 306.60 Sq. Mtrs. — Tehsil Wazirabad, Gurugram — Prop. ID: **1C78B796**. Bounded: **N**: CC-028 | **S**: CC-030 | **E**: Road | **W**: Other's Land.

TITLE: (i) Purchased by Late Sh. Yash Pall Vatsa & Late Smt. Sudershan Vatsa vide **Vasika No. 8280 dt. 13.07.2007**, SR Gurgaon. **(ii)** Smt. Sudershan Vatsa expired **18.05.2016**; share devolved on legal heirs. **(iii)** Civil Suit **CNR-HRGR02-003883-2016** decreed **22.11.2018** — Late Sh. Yash Pall Vatsa declared sole owner; decree registered as **Reg. No. 11438 dt. 07.01.2019** & **Reg. No. 14671 dt. 03.01.2019**. **(iv)** Transferred to **Sh. Sanjay Vatsa** (OCI, U.S.A.) vide **Transfer Deed Reg. No. 14657 dt. 28.03.2019**, SR Wazirabad, Gurugram. **(v)** Sh. Sanjay Vatsa proposes to sell to our **Client** vide Sale Deed to be registered, SR Wazirabad, Gurugram.

ALL PERSONS having or claiming any right, title, interest, lien, charge, mortgage, encumbrance, prior agreement to sell, power of attorney, or any other claim of any nature whatsoever in respect of the above property are **HEREBY CALLED UPON TO LODGE THEIR OBJECTION/CLAIM IN WRITING** with the undersigned within 21 (TWENTY-ONE) DAYS from the date of publication of this Notice. Failure to respond within this period shall be construed as waiver of all claims and the transaction shall proceed without further notice to any person.

Claims to: Resurgent Legal LLP, Unit 904, 9th Fl, Tower-C, Unitech Business Zone, Sector-50, Gurugram-122018. Tel: +91-9810150986 | Email: rohan.saluja@resurgentlegal.com

Pub: 27.03.2026 **Last date:** 17.04.2026 **For Resurgent Legal LLP**, Gurugram

---

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.
फिरोजाबाद शाखा: दुकान नं. 28 एवं 29, पहली मंजिल, सेठ विमल चंद जैन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सुहाग नगर क्रॉसिंग, फिरोजाबाद-283203, (उत्तर प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं. 15510000001/ फिरोजाबाद शाखा) फहीम खान (ऋणी) नगमा बाबुआ खान, नईम खान एवं बसरुद्दीन बबुद्दीन (सह-ऋणी) मउ रफिक खान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, नगर निगम नं. 37 पर मकान, वार्ड नं. 11, मौजा मधुगढ़ी (संपत्ति क्षेत्र 118.7 वर्गमीटर) हाथरस उ.प्र. **चर्तुसीमाएँ:–** पूर्व - प्लाट का शेष भाग; पश्चिम - सतीश की भूमि; उत्तर - हाजी मोहम्मद की भूमि; दक्षिण - रास्ता	06-01-2026 & ₹ 8,24,032/-	23-03-2026

स्थान : उत्तर प्रदेश — **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 27-03-2026 — **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

Sitara A SEWA INITIATIVE

सितारा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

(पहले सेवा गृह ऋण लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पंजीकृत कार्यालय – प्रथम तल, 216 / सी–12, पुराना नंबर सी–12, प्लॉट नंबर 13–बी, गुरु नानक पुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110092– दिल्ली – भारत

नियम-8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग सूचना जारी की है, जिसमें ऋणग्राही / सह–ऋणग्राही / ग्यारेंटर से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर आगे ब्याज सहित चुकाने की मांग की गई है। ऋणग्राही / सह–ऋणग्राही / ग्यारेंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणग्राही / सह–ऋणग्राही / ग्यारेंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणग्राही को विशेष रूप से और आम लोगों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे सम्पत्ति के संबंध में कोई सौदा नहीं करें और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी सौदा **सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** की नीचे वर्णित बकाया राशि, ब्याज और उस पर होने वाले खर्चों के **प्रभार** के तहत होगी। ऋणग्राही का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो प्रतिभूत आस्ति छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	ऋणग्राही / बंधकदाता / ग्यारेंटर / का नाम और पता / लैन	बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / सांकेतिक कब्जा की तिथि
1.	**ऋण खाता संख्या : L1CP000005004883** 1. श्रीमती रानी बेगम पत्नी श्री मोहम्मद इरशाद (ऋणग्रहीता) 2. श्री मोहम्मद इरशाद पुत्र श्री सुलेमान (सह–ऋणग्रहीता) 3. श्री मोहम्मद जुबेर पुत्र श्री मोहम्मद रशीद (ग्यारेंटर)	रु. 26,41,171 / – (रूपये छब्बीस लाख इकतालीस हजार एक सौ इकहत्तर मात्र)	22.12.2025 / 25.03.2026
	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन : मकान नंबर 10 / 598 शाहजमाल (शांति निकेतन), एन.डी.ए. कॉलोनी, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश 202001. बंधक रखी गई सम्पत्ति 599.87 वर्ग फीट भूमि का एक प्लॉट है। चार सीमाएं : पूरबः शबाना बेगम के मकान के बाद 20 फीट की दूरी, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क के बाद 20 फीट माप, उत्तरः शरीफ की भूमि के बाद 30 फीट माप, दक्षिणः नौशाद के मकान के बाद 20 फीट माप		
2.	**ऋण खाता संख्या : LAP100002609** 1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री रमाकांत (ऋणग्रहीता) 2. श्री रमाकांत पुत्र श्री रामप्रसाद वर्मा (सह–ऋणग्रहीता) 3. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह (ग्यारेंटर)	रु. 2,87,752.21 / – (रूपये दो लाख सत्तासी हजार सात सौ बावन और इक्कीस पैसे मात्र)	23.12.2025 / 25.03.2026
	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन : मकान नंबर 2ए, गाटा नंबर 57, गीतम नगर, नई आबादी नगला बिहारी, मौजा भोलाई मोहम्मद एत्मादपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश 282001. बंधक रखी गई सम्पत्ति 739.98 वर्ग फीट भूमि का एक प्लॉट है। चार सीमाएं : पूरबः प्लॉट नंबर 02 सेलर फर्स्ट साइड, पश्चिमः प्लॉट नंबर 03 दीगर, उत्तरः 30 फीट रोड, दक्षिणः भूमि दीगर		

स्थान : अलीगढ़ / आगरा दिनांक : 27–03–2026 प्राधिकृत अधिकारी, सितारा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, **भिकाजी कामा प्लेस शाखा, श्रीमती मल्लिका पंत पत्नी श्री शरत पंत एवं श्री शरत पंत पुत्र स्वर्गीय श्री हरिश पंत,** निवासी : मकान संख्या 56, ब्लॉक–बी, सेक्टर–48, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301, के नाम पर स्थित नीचे उल्लेखित संपत्ति को **मैसर्स मास मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, इसके निदेशकगण श्रीमती अंजलि तिवारी एवं श्री शीश बेंजवाल** द्वारा अनुरोधित ऋण / क्रेडिट सुविधा के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार करने का इरादा रखती है।

यदि किसी को नीचे उल्लिखित संपत्ति पर कोई अधिकार / शीर्षक / हित / दावा मिला है, तो उन्हें अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सबूत के साथ 10 दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

यदि 10 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाता है कि संपत्ति किसी भी शुल्क / दावे / भार से मुक्त है और बैंक बंधक के साथ आगे बढ़ेगा।

संपत्ति का विवरणः मकान संख्या 56, ब्लॉक–बी, सेक्टर–48, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301

शाखा विवरण / संपर्क नंबरः बैंक ऑफ बड़ौदा, बी.सी. प्लेस शाखा, अंसल चौंबर– ।।, फ्लैट नंबर–UG-27/35, अफ्रीका एवेन्यू, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

---

ansal API

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबरः L45101DL1967PLC004759
पंजीकृत कार्यालयः 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
ईमेलः contactansalapi@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

सभी निवेशकों / वित्तीय लेनदारों / बैंकों / खरीदारों को इसके द्वारा सख्ती से आगाह किया जाता है कि वे किसी भी ऐसे तीसरे पक्ष को कोई भी भुगतान न करें, जो निम्नलिखित की ओर से अधिकार होने का दावा करता होः

– अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
– अंसल हाई–टेक टाउनशिप्स लिमिटेड
– अंसल लैंडमार्क टाउनशिप्स लिमिटेड
– इनकी कोई भी सहायक कंपनी या समूह कंपनी

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ अनाधिकृत व्यक्तिध्संस्थाएँ, उपर्युक्त कंपनियों के साथ अपने जुड़ाव का दावा करते हुए, विकास समझौतों, बोर्ड प्रस्तावों अथवा कथित प्राधिकरण दस्तावेजों को प्रसारित कर रहे हैं।

आम जनता को इसके द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसे दावे पर भरोसा न करें और न ही उनके आधार पर कोई कार्रवाई करें, जिनमें आवंटन, विकास के अधिकार या निवेश के अवसरों के वादे शामिल हों। किसी तीसरे पक्ष द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज या दावे को तब तक अनधिकृत और अमान्य माना जाना चाहिए, जब तक कि कंपनी द्वारा उनकी आधिकारिक पुष्टि न कर दी जाए। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ऐसे अनधिकृत पक्षों द्वारा किए गए किसी भी लेन–देन, प्रतिबद्धता या आश्वासन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सी.आई.आर.पी. से संबंधित मामले वर्तमान में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, और नवगठित निदेशक मंडल उक्त मामले पर अंतिम निर्णय आने तक कंपनी की संपत्तियों और हितों को संरक्षित, सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

यदि आपको उपरोक्त संस्थाओं के नाम पर कोई संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी वाला संचार, या गुमराह करने वाले प्रस्ताव मिलते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इसकी सूचना तुरंत contactansalapi@gmail.com पर दें।

जनता को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और सभी लेन–देन को सीधे आधिकारिक माध्यमों से सत्यापित करें।

अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए
स्थान : नई दिल्ली — हस्ताक्षर / –
दिनांक : 26.03.2026 — निदेशक